

प्रेस नोट दिनांक 30.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस का “नशे पर वार – ऑपरेशन प्रहार” : स्पेशल टीम व थाना पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई — 09 अभियुक्त गिरफ्तार, 5.023 किग्रा अवैध गांजा व ₹1,44,153/- नकद बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चार थानों की बड़ी कार्रवाई—अवैध गांजा व नकदी बरामद

प्रतापगढ़ में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन—गांजा समेत नकदी बरामद

प्रतापगढ़ पुलिस का विशेष अभियान—गांजा बिक्री के नेटवर्क पर करारा प्रहार

अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस—प्रतापगढ़ पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन सफल

जनपद-व्यापी छापेमारी—मादक पदार्थ तस्करो पर पुलिस की बड़ी चोट

एसपी भूकर— “नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है”

हेल्पलाइन 6307363107 बना जनता की ताकत, सूचना मिलते ही हो रहा तुरंत एक्शन

प्रतापगढ़।

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी तथा प्रसार की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जिलेभर में निरंतर वृहद स्तर पर “ऑपरेशन प्रहार” संचालित किया जा रहा है। अभियान के क्रम में मादक पदार्थों से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से सक्रिय होकर संभावित स्थलों पर दबिश दी जाती है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाती है।

इसी क्रम में, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से सम्बन्धित प्राप्त गोपनीय सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों — थाना कोतवाली नगर, थाना दिलीपपुर, थाना फतनपुर तथा थाना कंधई की पुलिस टीमों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर एक साथ संयुक्त धरपकड़ अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप स्पेशल टीम व थाना पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा की गई त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए तथा उनकी कब्जे से लगभग 5.023 किलोग्राम अवैध गांजा तथा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित लगभग ₹1,44,153/- नकद बरामद किया गया।

थाना कंधई-

थाना प्रभारी कंधई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह का0 रामजी कुशवाहा, का0 बृजेश यादव, का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुल 2.100 किलोग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री से संबंधित कुल ₹1,36,860/- नकद के साथ 02 अभियुक्तों, 1. रामसेवक पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष, 02. शुभम पुत्र लालमणि निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत अमसौना नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना फतनपुर-

थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार व उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह हे0कां0 सुनील यादव व कां0 रोहित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुल 1.500 किलोग्राम अवैध गांजा एवं बिक्री से संबंधित कुल ₹1693/- नकद के साथ 01 अभियुक्त राकेश सिंह उर्फ गब्बर पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम रोहखुर्द कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोहखुर्द कला के गौशाला मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 286/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना दिलीपपुर-

थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुल 1.225 किलोग्राम अवैध गांजा एवं बिक्री से संबंधित कुल ₹2660/- नकद के साथ 02 अभियुक्तों, 1. अरूण कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 रुद्रप्रताप शुक्ला निवासी ग्राम बुझीकला थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष 2. विश्वनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० शिवकुमार पाण्डेय निग्राम नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ से खूझीकला गेट की तरफ ग्राम बुझीकला के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना कोतवाली नगर-

थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार व चौकी प्रभारी भुलियापुर उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह हे0कां0 संतोष कुमार, का० हेमन्त द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुल 85 ग्राम अवैध गांजा एवं बिक्री से संबंधित कुल ₹1120/- नकद के साथ 02 अभियुक्तों, 01. बडे लाल रावत पुत्र स्व०

विश्वनाथ रावत नि० सिप्टेन रोड थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष, 02. रविशंकर उर्फ जे०जे० उर्फके गुड़ गड़्ड पुत्र स्व शिव शंकर नि० पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मौदान के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 615/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ०नि० अंकित श्रीवास्तव व चौकी प्रभारी मोडिकल कालेज उ०नि० अखिलेश प्रताप मय हमराह का० सोनवीर, का० अंकित प्रजापति का० अतुल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुल 113 ग्राम अवैध गांजा(गांजा अवैध 52 ग्राम पालीथीन की (10 पैकेट) व 61 ग्राम कागज की पुडिया सहित) एवं बिक्री से संबंधित कुल ₹1820/- नकद के साथ 02 अभियुक्तों, 1. दिलशाद उर्फ बबलू पुत्र शराफत नि० टक्करगंज थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष, 2. अरविन्द गौतम पुत्र गंगादीन गौतम नि० पाठक का पुरवा सराय वीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत या माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 616/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. बडे लाल रावत पुत्र स्व० विश्वनाथ रावत नि० सिप्टेन रोड थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।
2. रविशंकर उर्फ जे०जे० उर्फके गुड़ गड़्ड पुत्र स्व शिव शंकर नि० पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष।
3. दिलशाद उर्फ बबलू पुत्र शराफत नि० टक्करगंज थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष।
4. अरविन्द गौतम पुत्र गंगादीन गौतम नि० पाठक का पुरवा सराय वीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।
5. राकेश सिंह उर्फ गब्बर पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम रोहखुर्द कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. अरूण कुमार शुक्ला पुत्र स्व० रुद्रप्रताप शुक्ला निवासी ग्राम बुझीकला थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।
7. विश्वनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० शिवकुमार पाण्डेय निग्राम नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष।
8. रामसेवक पुत्र स्व० जगन्नाथ निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष।
9. शुभम पुत्र लालमणि निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- रामसेवक पुत्र स्व० जगन्नाथ निवासी अमसौना थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 62/92 धारा 60/63 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
02. मु०अ०सं० 237/2007 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
03. मु०अ०सं० 293/2007 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 207/2008 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0 521/2010 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0 268/2016 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
07. मु0अ0सं0 122/2020 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
08. मु0अ0सं0 59/2022 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
09. मु0अ0सं0 51/2023 धारा 60 Ex. ACT थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

02- राकेश सिंह उर्फ गब्बर पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम रोहखुर्द कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 48/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 268/2022 धारा 504, 506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0 286/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

03- दिलशाद उर्फ बबलू पुत्र शराफत नि० टक्करगंज थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 400/2019 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 616/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

जनपद की पुलिस टीमों द्वारा की गई इस प्रभावी कार्रवाई से अवैध तस्करो के नेटवर्क पर महत्वपूर्ण अंकुश लगा है तथा जनपद में मादक पदार्थों के प्रसार पर रोक लगाने की दिशा में यह अभियान अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा जनपद की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान इसी प्रकार निरंतर जारी रखा जाए।

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अपहरण, धमकी के अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 04 अभियुक्त/ अभियुक्ता को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी सुजाखर थाना सांगीपुर द्वारा थाना सांगीपुर पर दी गई तहरीर के आधार पर मो० अल्ताब अली तथा उसके सहयोगियों मो० अन्सार, अफरोज व हैदर पर वादी की बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा विरोध करने पर वादी को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में थाना सांगीपुर में मु०अ०सं० 222/2025 धारा 87/352/351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ०नि० हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुमित सिंह, का० आकाश राय, का० मुकुल अग्ने, म०का० मानसी व म०का० श्वेता दीक्षित द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 222/2025 धारा 87/352/351(3) बीएनएस में प्रकाश में आये 04 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. मो० तौफिक पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम अगई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. मो० साहिल पुत्र मो० इस्लाम 3. रूकसार पत्नी मो० जाकिर 4. सायरा बेगम पत्नी आसिक अली निवासीगण ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त/ अभियुक्ता की गिरफ्तारी के संबंध में धारा 142 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

- 1.मो० तौफिक पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम अगई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।
- 2.मो० साहिल पुत्र मो० इस्लाम निवासी ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
- 3.रूकसार पत्नी मो० जाकिर निवासी ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।
- 4.सायरा बेगम पत्नी आसिक अली निवासी ग्राम सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुमित सिंह, का० आकाश राय, का० मुकुल अग्ने, म०का० मानसी व म०का० श्वेता दीक्षित थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

लालगंज पुलिस की कार्रवाई विद्यालय में चोरी प्रकरण में वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा चोरी के कुल 620/- रुपये बरामद-

बाल अपचारी को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसपुर शिव मंदिर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2025 को वादिनी, की तहरीर के आधार पर उनके विद्यालय जो बाबूगंज-खीरी-समापुर रोड पर स्थित है में रात्रि में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी कर लेने के संबंध में थाना लालगंज पर 358/25 धारा 331(4), 305, बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 संजय यादव, का0 संतोष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0 358 / 2025 धारा 331 (4) / 305 बीएनएस थाना लालगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी, को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसपुर शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त मुकदमे में चोरी गये माल के हिस्से के रुपये बरामद होने के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की जाती है।

गिरफ्तार बाल अपचारी का विवरण-

01 बाल अपचारी।

बरामदगी-

चोरी के 620/- रु0 बरामद

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 संजय यादव, का0 संतोष यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।